

I/4255/2024

मैसर्स ईओएन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड-चरण-I एसईजेड, खराडी, पुणे, के आईटी/आईटीईएस के लिए सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र, का जोनल विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, सीप्लस एसईजेड, मुंबई में दि 23.04.2024 को आयोजित 118 वी अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।		
1	एसईजेड का नाम	मैसर्स.ईओएन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड-एसईजेड, चरण I
2	क्षेत्र	आईटी/आईटीईएस
3	मीटिंग नं	118 वी
4	तारीख	23.04.2024

उपस्थित सदस्य:

क्रमांक न.	नाम और पदनाम (एस/श्री.)	विभाग
1	श्रीमती मितल हिरेमठ संयुक्त विकास आयुक्त पुणे	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	डॉ. दिलीराज दामोले, उप निदेशक डीजीएफटी,	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
3	श्रीमती भारती आहूजा सहायक आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
4	श्रीमती मालती जे. नायर, अधीक्षक	सीमा शुल्क विभाग पुणे से नामित

विशेष आमंत्रित :

क्र.	नाम एवं पदनाम (श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्री. शम्भू दयाल मीना, विनिर्दिष्ट अधिकारी	ईओएन-एसईजेड, पुणे क्लस्टर

एजेंडा आइटम नंबर 01: दिनांक 28.03.2024 को आयोजित 117 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

विचारविमर्श के बाद, समिति ने 28.03.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की 117 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

I/4255/2024

एजेंडा आइटम नंबर 02: मैसर्स। ईओएन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड (डेवलपर) द्वारा प्रस्तुत प्रसंस्करण क्षेत्र में एटीएम सुविधा प्रदान करने के लिए विक्रेताओं को निर्मित स्थान को पट्टे पर देने के अनुमोदन के लिए आवेदन

विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने एसईजेड के नियम 11(5) के अनुसार एटीएम सुविधा स्थापित करने के लिए विक्रेता को निर्मित स्थान पट्टे पर देने के डेवलपर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

इकाई/संचालक का नाम	स्थान	पट्टे पर दिया जाने वाला क्षेत्र
मैसर्स एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	एटीएम ए 1 एलजी1 स्तर, क्लस्टर ए	425.08 (वर्ग फुट)

यह मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

डेवलपर/सेवा प्रदाता को इस प्रकार की सुविधाओं को बनाने या संचालने के लिए SEZ अधिनियम के .1 अनुभाग 7 / अनुभाग 26 के तहत उपलब्ध किसी भी छूट, वापसी, सबसिडी, या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

डेवलपर/सेवा प्रदाता को इस प्रकार की सुविधा की स्थापना/संचालन के लिए आवश्यक मान्यताएँ/NOC .2

अग्नि विभाग, FASSAI और अन्य विधिक प्राधिकरणों से पूर्व मिलने वाली सभी

मंजूरीयों/निर्गमों/स्वीकृतियों का पालन करना होगा।

3. सुविधाएँ केवल डेवलपर के कर्मचारियों तथा यूनिट के कर्मचारियों के विशेष उपयोग के लिए ही प्रयुक्त होंगी।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Minutes of the 118th Meeting of the Approval Committee held under the Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai for Sector Specific Special Economic Zone for IT/ITES of M/s. EON Kharadi Infrastructure Pvt. Ltd.-Phase-I SEZ, Kharadi, Pune, held on 23.04.2024		
1	Name of the SEZ	M/s. EON Kharadi Infrastructure Pvt. Ltd.-SEZ, Phase I
2	Sector	IT/ITES
3	Meeting No.	118 th Meeting
4	Date	23.04.2024

Members present:

Sr	Name and Designation (S/Shri.)	Department
1	Smt. Mital Hiremath	Pune Cluster SEZ, Pune

I/4255/2024

	Joint Development Commissioner	
2	Dr. Dileeraj Dabhole, Dy. DGFT	Nominee of DGFT, Pune
	Smt. Bharati Ahuja Asst. Commissioner, IT	Nominee of Income Tax, Pune
4	Smt. Malathi J. Nair Superintendent	Nominee of Customs, Pune

Special Invitee:

Sr	Name and Designation	Department
1	Shri. Shambhu Dayal Meena Specified Officer	SEEPZ-SEZ, Pune Cluster

Agenda Item No.01: Confirmation of the Minutes of the 117th meeting held on 28.03.2024

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 117th meeting of Approval Committee held on 28.03.2024.

Agenda Item No.02: Application for approval of Leasing out of Built up area to vendors for Providing ATM facility in the processing area Submitted by M/s. EON Kharadi Infrastructure Pvt. Ltd. (Developer)


After deliberation, the Approval committee approved the proposal of the Developer for Leasing out built up area to vendor for setting up of ATM facility in terms Rule 11(5) of the SEZ, as detailed below:

Name of the Entity/ Operator	Location	Area to be leased
M/s. HDFC Bank Ltd	ATM A1 LG1 level, Cluster A	425.08 (Sq.ft)

This approval is subject to the following conditions:

1. The Service Provider will not be eligible for any exemptions, drawback, concessions or any other benefits available under Section 7 or Section 26 of the SEZ Act for creating or operating such facilities.
2. Developer and Service provider shall adhere all the statutory compliance such as Fire NOC and other clearances required for setting up / running of such facility.
3. The facility will be for exclusive use of the employees of the units and the Developer.

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.


 राजेश कुमार मिश्रा / Rajesh Kumar Mishra
 विकास आयुक्त/Development Commissioner
 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
 Govt. of India, Ministry of Commerce & Industry
 सीपज़- विशेष आर्थिक क्षेत्र/SEEPZ- Special Economic Zone
 अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 96 / Andheri (E), Mumbai-96